



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु -560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1563 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1563**

विषय / Sub: माउंटिंग ट्रे, पार्ट सं. 1100 017 123 84 सहित  
सिगनल प्रोसेसर यूनिट (एसपीयू), पार्ट सं. 1100 018 864 02

**Signal Processor Unit (SPU), Part No.: 1100 018 864 02**  
**along with Mounting Tray, Part No.: 1100 017 123 84**

यह घोषित किया जाता है कि डी ए आर ई, डीआरडीओ, बेंगलूरु द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), डी एंड ई - ई डब्ल्यू/ईडब्ल्यू एंड ए, जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूरु- 560 013 द्वारा उत्पादित माउंटिंग ट्रे, पार्ट सं. 1100 017 123 84 सहित "सिगनल प्रोसेसर यूनिट (एसपीयू)", पार्ट सं. 1100 018 864 02 को संदर्भ सं. सेमिलाक/5070/टीए-1563, दिनांक 18 नवंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1563 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक थी। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलाक/5070/टीए-1563/1ए, दिनांक 24 जुलाई 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

*This is to state that the "Signal Processor Unit (SPU)", bearing the Part No.: 1100 018 864 02 along with Mounting Tray, Part No.: 1100 017 123 84 designed by DARE, DRDO, Bengaluru and developed and manufactured by M/s. Bharat Electronics Limited, D & E - EW/EW & A, Jalahalli Post, Bengaluru - 560 013 was issued with Type Approval No.: 1563 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1563, dated: 18<sup>th</sup> November 2010 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2015. Subsequently, an amendment was issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1563/1A, dated: 24<sup>th</sup> July 2013.*

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1563 और उसके परिशिष्ट ए में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। निम्नलिखित को पहले तालिका के अंत में जोड़ा जाता है।

*The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1563 and its Appendix 'A'. Add the following at the end of the 1<sup>st</sup> Table:*

<i>Mod Status</i>	<i>MOD-3</i>
-------------------	--------------

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवम्बर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्तूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), द्वारा एच ए एल, हैदराबाद -500 042 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), C/o HAL, Hyderabad - 500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1563, दिनांक 18 नवंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1563, dated: 18<sup>th</sup> November 2010 is amended as stated herewith.*

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र सेमिलैक(, बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।[

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1563/1R

दिनांक/Date : 06 November 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-2523 0856

K. Goyal

(कामेश गोयब/ Kamesh Goyal)

स्थानामन्त मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Offg.Chief Executive (Airworthiness)